

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2021-22/04

दिनांक:- 06/08/21

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय:- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय समारोह
में प्रशंसा-पत्र प्रदान किए जाने बाबत।

प्रसंग:- शासन के पत्रांक-प.4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट1 जयपुर, दिनांक 06.08.2021
के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय
योजना के क्रियान्वयन के आधार पर शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) के अवसर पर आयोजित होने वाले
राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को
सम्मानित/प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाना है।

पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक आदर्श एवं उत्कृष्ट⁶⁷
विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आवेदन पत्र भरकर संबंधित मुख्य
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। तत्पश्चात् ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं
अनुशंसा समिति द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांचोपरांत उपर्युक्त पाये जाने वाले आवेदन
पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का
चयन कर उनके आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को भिजवाया
जाएगा।

जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों
की जांचोपरांत उपर्युक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं
प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदन पत्रों को निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित समयावधि तक⁶⁷
व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सम्मान हेतु नाम भिजवाते समय यह ध्यान में रखा जावे कि संस्था प्रधान के
विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं हो/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हो।
उपर्युक्त कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में सम्पादित करें। साथ
ही यह ज्ञात रहें कि आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र संस्था प्रधान सम्मानित होने से
वंचित रहता है तो इसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

नोट:- शासन द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र एवं मूल्यांकन निर्देश विभागीय वेबसाइट:-
www.education.rajasthan.gov.in/secondary (लिंक:-<https://bit.ly/3fUa49R>) पर उपलब्ध है।

संलग्न:-

1. शासन द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश
2. आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन पत्र "परिशिष्ट-1(अ)"
3. आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट-2(अ)"
4. उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन पत्र "परिशिष्ट-1(ब)"
5. उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट-2(ब)"

67
(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 06/08/21

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2021-22/04
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि),राजस्थान, बीकानेर।
- शासन उपसचिव—शिक्षा (ग्रुप—1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संरथापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त जिला कलकटर, राजस्थान।
- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
- समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
- सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (आर.एस.टी.बी.), जयपुर।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
- संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) एवं नॉडल अधिकारी, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, जयपुर।
- समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण, प्रभावी प्रबोधन तथा प्रचार—प्रसार हेतु।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माशि/प्राशि।
- समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा
- सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
- समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (यूसीईईओ) /संस्था प्रधान।
- समस्त संस्था प्रधान, राजकीय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय।
- सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- रक्षित पत्रावली।

62
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश

आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण आदर्श एवं शहरी आदर्श तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को सम्मानित/प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र प्रारूप एवं मूल्यांकन निर्देश।

1. राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विभाग के शासकीय आदेश क्रमांक प.4(6)शिक्षा-1/2014 दिनांक 12.05.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शहरी क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के संबंध में शासकीय आदेश क्रमांक प.4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 02.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1-8/5) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश प. 17(3)/प्रा. शि./ आयोजना/उत्कृष्ट वि./2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक-बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ आई. सी.टी./ कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श विद्यालय (ग्रामीण/शहरी) संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Centre) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Centre of Excellence के रूप में विकसित होंगे।
3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
4. उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन- तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित/प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु ब्लॉक, जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंसा समितियां तथा राज्य स्तर पर चयन समिति निम्नानुसार गठित की जाती हैं:-

5.1 ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
01	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा	अध्यक्ष
02	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—प्रथम	सदस्य
03	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—द्वितीय	सदस्य सचिव

नोट:- उक्त समिति से संबंधित सदस्य के पद रिक्त होने की स्थिति में सीबीईओ/कार्यवाहक सीबीईओ क्षेत्राधिकार में पदस्थापित प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी का मनोनयन करने हेतु अधिकृत होंगे बशर्ते जिसके वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय द्वारा उक्त योजना के तहत आवेदन नहीं किया गया हो।

5.2 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र. सु./ग्रुप-3/2015 दिनांक 15.04.2015 एवं पुनर्गठन आदेश क्रमांक—प.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015 जयपुर दिनांक 24.10.2018 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।

5.3 आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- अध्यक्ष — निदेशक, मा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — उपायुक्त, प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर
- सदस्य — अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य सचिव — संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) मा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — संयुक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
(निदेशक महोदय द्वारा रोटेशन के आधार पर नामित)
- सदस्य — जिला शिक्षा अधिकारी, आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ, मा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — सहायक निदेशक, कार्मिक एवं माध्यमिक अनुभाग मा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक अनुभाग, प्रा.शि., राज., बीकानेर

5.4 राज्य स्तरीय चयन समिति

- अध्यक्ष — शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
- सदस्य — निदेशक मा.शि., राज., बीकानेर
- सदस्य — राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर
- सदस्य — अतिरिक्त आयुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर
- सदस्य — संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयो.) विभाग
- सदस्य — उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
- सदस्य — उपायुक्त प्रथम, रास्कूलशिप., जयपुर
- सदस्य — अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि., विभाग

सदस्य सचिव – विशेषाधिकारी शिक्षा

6. समितियों के कार्य

6.1 ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति ब्लॉक क्षेत्राधिकार के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों से प्राप्त समर्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से वरियता वाले प्रथम तीन – तीन संस्था प्रधानों (तीन आदर्श एवं तीन उत्कृष्ट विद्यालय) का चयन कर उनके आवेदनों को जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को भिजवायेगी।
- ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
- ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की मूल्यांकन निर्देशों के अनुरूप वरीयता निर्धारण की कार्यवाही संबंधित अभिलेखों एवं आंकड़ों के भौतिक सत्यापन की यथोचित कार्यवाही/प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात् की जाएगी।

6.2 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से वरियता वाले प्रथम तीन संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को भिजवायेगी।
- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जावेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संस्था प्रधान, द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा तत्पश्चात् विद्यालय में पाई गई उपलब्धि के आधार पर निर्धारित अधिकतम 05 अंकों में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.3 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् संस्था प्रधानों के प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी।
- जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम 10–10 संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जाये।

6.4 राज्य स्तरीय चयन समिति

- निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जांच करेगी।

2. समिति द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु तीन-तीन नामों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें जायेंगे।
- 7. आवेदन की प्रक्रिया**
1. समस्त ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान आवेदन करने के पात्र होंगे।
 2. मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020-21 (31 मार्च, 2021) / शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
 3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान अपने आवेदन क्रमशः प्रपत्र-अ एवं ब में करेंगे (संलग्न परिशिष्ट-1 अ एवं ब)। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र "अ" व "ब" नाम से उपलब्ध रहेगा।
 4. मूल्यांकन मुख्यतः समस्त आदर्श विद्यालयों (ग्रामीण व शहरी) एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की योजनाओं को राजकीय विद्यालयों में क्रियान्वयन के आधार पर होगा। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र-अ तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रपत्र-ब रहेगा।
 5. संस्था प्रधान समीक्ष्य शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय में कम से कम 05 माह से अधिक कार्यावधि होने पर ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
 6. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान अपने आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय (सीबीईओ कार्यालय) को प्रस्तुत करेंगे। सीबीईओ कार्यालय में कार्यरत एसीबीईओ-द्वितीय उक्त योजना/सम्मान हेतु ब्लॉक नॉडल अधिकारी होंगे तथा उक्त सम्मान बाबत ब्लॉक से अधिकाधिक विद्यालयों को आवेदन हेतु प्रेरित करने तथा वरीयता में आने वाले प्रथम तीन संस्था प्रधानों/विद्यालयों के प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
 7. निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
 8. एक बार प्रशंसा पत्र प्राप्त विद्यालय पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
 9. मूल्यांकन एवं अनुशंसा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। अर्जित की गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करने के मानदण्ड (मूल्यांकन निर्देश) निर्धारित किए गए हैं, जो कि परिशिष्ट-2 "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध हैं।

नोट:-1. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरण आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा-मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा-कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण-पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी। (आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरण इत्यादि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य के रूप में शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट/साक्ष्य को प्राथमिकता से आवश्यक रूप से संलग्न करें।)

—३—

10. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है:-

(05 सितम्बर, 2021 को आयोज्य राज्य स्तरीय समारोह हेतु)

क्र. सं.	आवेदक वर्ग	संस्था प्रधान द्वारा सीबीईओ कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	सीबीईओ कार्यालय द्वारा जांचोपरांत आवेदनों को सीडीईओ कार्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10-10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अंतिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक
1	संस्था प्रधान	13.08.2021	16.08.2021	19.08.2021	25.08.2021	28.08.2021

AB2
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र - अ

आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान के लिये आवेदन पत्र
उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण-

- 1.1 जिले का नाम..... ब्लॉक का नाम.....
- 1.2 राजकीय विद्यालय का नाम.....
- NIC CODE..... U-DISE CODE.....
- 1.3 विद्यालय स्तर- कक्षा 1 से 12, 6 से 12, 9 से 12, 1 से 10 अथवा 6 से 10—.....
- 1.4 संस्था प्रधान का विवरण:-
- (i) संस्था प्रधान का नाम.....
 - (ii) संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर.....
 - (iii) जन्म तिथि.....
 - (iv) इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि.....
 - (v) क्या कोई विभागीय जॉच लम्बित है/नहीं।
 - (vi) विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है/नहीं।

2. उपलब्धि विवरण-

अकादमिक

2.1 नामांकन

क्र.सं.	कक्षा	सत्र 2020-21 का नामांकन	अंक	कुल अंक
01	1 से 5			
02	6 से 8			
03	9 से 10			
04	11 से 12 कला			
05	11 से 12 विज्ञान			
06	11 से 12 वाणिज्य			
	योग (4+5+6)			
	महायोग (1 से 6)			

2.2 नामांकन वृद्धि

सत्र 2019-20 का कुल नामांकन	सत्र 2020-21 का कुल नामांकन	वृद्धि (प्रतिशत में) $C=(B-A)/A*100$	अंक
A	B	C	D

2.3 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (सत्र 2020–21)

कक्षा	कुल नामांकन	परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी	परीक्षा परिणाम				उत्तीर्ण प्रतिशत $G=(F/B*100)$	अंक	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत $I=(C/B*100)$	अंक	गत वर्ष का परिणाम प्रतिशत में	गत वर्ष से परिणाम में वृद्धि प्रतिशत में	कुल अंक $M=(H+J)$	
			I	II	उत्तीर्ण	योग $F=(C+D+E)$								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
10														
12														

2.4 ऑनलाइन/ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ :-

(स्माइल कार्यक्रम, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि माध्यमों से विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की स्थिति):-

(i) वाट्सएप ग्रुप का निर्माण

क्र.सं	विवरण					हां/नहीं	अंक
01	क्या ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों हेतु कक्षावार वाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है?						

(ii) विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम

क्र.सं	कुल नामांकन (2020–21)	डिजिटल माध्यम (वाट्सएप) द्वारा शिक्षण सामग्री से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	नॉन डिजिटल माध्यम (केवल कार्यपुस्तकों/पाठ्यपुस्तकों) द्वारा शिक्षण सामग्री से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	किसी भी प्रकार से शिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत ($F=C+D/B*100$)	अंक
A	B	C	D	E	F	G

(iii) गृहकार्य का वितरण

क्र.सं	कुल नामांकन (2020–21)	विद्यार्थियों की संख्या जिनको ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम (वाट्सएप) द्वारा गृहकार्य वितरित किया गया है	विद्यार्थियों की संख्या जिनको ऑफलाइन/नॉन-डिजिटल माध्यम द्वारा गृहकार्य वितरित किया गया है	विद्यार्थियों की संख्या जिनको किसी भी माध्यम द्वारा गृहकार्य वितरित नहीं किया गया है	उपलब्धि प्रतिशत ($F=C+D/B*100$)	अंक
A	B	C	D	E	F	G

(iv) गृहकार्य संकलन एवं जांच

क्र.सं	कुल नामांकन (2020–21)	विद्यार्थियों की संख्या जिनसे ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम (वाट्सएप) द्वारा गृहकार्य प्राप्त कर जांच की गई	विद्यार्थियों की संख्या जिनसे ऑफलाइन/नॉन-डिजिटल माध्यम द्वारा गृहकार्य प्राप्त कर जांच की गई	विद्यार्थियों की संख्या जिनसे किसी भी माध्यम द्वारा गृहकार्य प्राप्त नहीं किया गया	उपलब्धि प्रतिशत ($F=C+D/B*100$)	अंक
A	B	C	D	E	F	G

(v) पोर्टफोलियो संधारण

क्र. सं	कुल नामांकन (2020-21)	विद्यार्थियों की संख्या जिनके पोर्टफोलियो को नियमानुसार संधारित किया गया है	विद्यार्थियों की संख्या जिनके पोर्टफोलियो को तैयार नहीं किया गया है	उपलब्धि प्रतिशत (E=C/B*100)	अंक
A	B	C	D	E	F

(vi) कार्यपुस्तिकार्ओं का वितरण

क्र. सं	प्राप्त कुल कार्यपुस्तिकार्ओं की संख्या	विद्यार्थियों को वितरित कार्य पुस्तिकार्ओं की संख्या	अवितरित कार्यपुस्तिकार्ओं की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत (E=C/B*100)	अंक
A	B	C	D	E	F

(vii) विवज में सहभागिता

क्र. सं	कुल नामांकन (2020-21)	विवज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या	विवज में भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत (E=C/B*100)	अंक
A	B	C	D	E	F

(viii) शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति

क्र. सं	शिक्षकों की संख्या जिनको निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना था	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत (E=C/B*100)	अंक
A	B	C	D	E	F

(ix) अन्य गतिविधियां

क्र.सं	विवरण	हां / नहीं	अंक
01	क्या विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया / डिजिटल अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के साथ साझा की गई?		
02	क्या ई-कक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई अध्ययन सामग्री में विद्यालय के किसी शिक्षक / शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए विडियो प्रसारित किए गए?		

2.5 प्रतिभा खोज परीक्षा—

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	अंक
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) / इन्सपायर अवार्ड		
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा / इन्सपायर अवार्ड		
नेशनल मेरिट कम—मीन्स स्कॉलरशिप / इन्सपायर अवार्ड		

3. समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास:-

3.1 आधारभूत सुविधाएं-

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/उपलब्धता	अंक	कुल अंक
1	खेल मैदान	अनुपलब्धता/ भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर/ भूमि आवंटन करवाने पर/ खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता		
2	खेल सामग्री	अनुपलब्धता/ उपलब्धता तथा उपयोग		
3	पेयजल	सामान्य व्यवस्था/ अच्छी व्यवस्था/ बहुत अच्छी व्यवस्था		
4	शौचालय एवं मूत्रालय	50 से अधिक बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालकों के लिए एक मूत्रालय/ 50 से कम बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालकों के लिए एक मूत्रालय 50 से अधिक बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय/ 50 से कम बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय		
5	विद्यालय में कक्षा-कक्ष	अपर्याप्त कक्षा-कक्ष/ पर्याप्त कक्षा-कक्ष		
6	चार दीवारी	अनुपलब्ध/ अपूर्ण/ पूर्ण		
7	विद्युत कनेक्शन	विद्युत कनेक्शन उपलब्ध एवं क्रियाशील		
कुल अंक				

3.2 विद्यालय में ड्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉन्गल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा :-

क्र सं.	विवरण	हाँ/नहीं	उपलब्धि वर्ष	अंक
1	ड्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉन्गल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन			

3.3 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति :-

कक्षा	लक्ष्य	कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड/ व्हाइट बोर्ड की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत (D=C/B * 100)	अंक	कुल अंक
A	B	C	D	E	F
1-5	5				
6-8	3				
9-10	2				
11-12	2				

3.4 विद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण :-

विवरण	विद्यालय के बाहरी एवं आंतरिक भाग में रंग रोगन करवाया गया/ नहीं	विद्यालय में आदर्श वाक्य/ सूक्ष्मियों का लेखन करवाया गया/ नहीं	आदर्श योजनानुसार नाम तथा लोगों लेखन करवाया गया/ नहीं	विद्यालय परिसर स्वच्छता	कुल अंक
अंक					

3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु लहर पैटर्न पर /ABL कक्षा-कक्ष तैयार करवाने की प्रगति:-

लहर / ABL कक्षा-कक्ष			
क्या विद्यालय में लहर पैटर्न पर / ABL कक्ष उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	अपूर्ण	पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील (शिक्षण में ABL किट/ TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है)	अंक

3.6 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था :-

फर्नीचर की स्थिति			
कुल नामांकन	फर्नीचर की उपलब्धता	उपलब्धि का प्रतिशत $C=(B*100/A)$	अंक
A	B	C	D

3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब की स्थिति :-

क्र.सं.	कम्प्यूटर लैब की स्थापना आई.सी.टी. योजनान्तर्गत अथवा दानदाताओं/भासाशाहों/MLA LAD/MP LAD इत्यादि द्वारा की गयी है, का उल्लेख करें	कुल उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $E=D*100/C$	अंक
A	B	C	D	E	F

3.8 राजीव गांधी केरियर गार्डेंस पोर्टल :-

क्र.सं.	पोर्टल पर लॉग-इन हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 09 से 12)	पोर्टल पर लॉग-इन उपरान्त लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत में $D=C*100/B$	अंक
A	B	C	D	E

3.9 डिजीटल लिटरेसी :-

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	अंक
01	RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता से प्रशिक्षित होने योग्य समस्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया		

3.10 सांस्कृतिक एवं विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता :-

क्र.सं.	गतिविधि	राज्य में स्थान	जिले में स्थान	अंक	कुल अंक
1	सांस्कृतिक (कला उत्सव)				
2	विज्ञान प्रदर्शनी				

3.11 भामाशाह/दानदाता द्वारा प्राप्त राशि सहयोग (सामग्री अथवा नकद) :-

क्र.सं.	सहयोग का प्रकार	प्राप्त राशि (2020-21)	अंक
1	जनसहयोग		
2	काउड फॉर्डिंग		
3	भामाशाह		
4	सी.एस.आर.		
	योग		

नोट :- सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

विद्यालय में सी.एस.आर., भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण :-

सहयोगकर्ता का नाम	सहयोग का विवरण	सहयोग राशि	कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है

3.12 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष :-

क्र. सं.	विद्यार्थी कोष					विकास कोष					उपलब्धि प्रतिशत $L=(E+J)*$ 100/(D+I)	अंक
	01 अप्रैल 2020 को शेष राशि	प्राप्त राशि (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)	कुल राशि D=(B+C)	व्यय राशि (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)	01 अप्रैल 2021 को शेष राशि	01 अप्रैल 2020 को शेष राशि	प्राप्त राशि I=(G+H)	कुल राशि I=(G+H)	व्यय राशि (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)	01 अप्रैल 2021 को शेष राशि		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												

क्र.सं.	व्यय विवरण (मद)	विद्यार्थी कोष (राशि)	विकास कोष (राशि)	योग (E=C+D)
A	B	C	D	E
1	फर्नीचर			
2	विद्यालय सोन्दर्यीकरण			
3	आई.सी.टी.			
4	पेयजल			
5	शौचालय			
6	ग्रीन बोर्ड/हाइट बोर्ड			
7	प्रवेशोत्सव			
8	योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड			
9	खेलकूद सामग्री एवं प्रतियोगितायें			
10	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य(S.U.P.W.)			
11	पुस्तकालय			
12	पी.टी.ए. बैठक			
13	माइनर रिप्रेयरिंग			
14	विद्युत, पानी, टेलीफोन बिल का भुगतान			
15	अन्य			

3.13 पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा :-

क्र.सं.	विवरण	हां/नहीं	अंक	कुल अंक
1.	फर्नीचरयुक्त पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष की उपलब्धता (विद्यार्थियों के बैठने की पर्याप्त सुविधायुक्त)			
2.	ई-लाइब्रेरी			

3.14 ज्ञान संकल्प पोर्टल :-

क्र.सं.	विवरण	स्टाफ की कुल संख्या	पंजीकरण	उपलब्धि प्रतिशत (D=C*100/B)	अंक
	A	B	C	D	E
1.	स्टाफ का पोर्टल पर पंजीकरण				

3.15 शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति)

क्र.सं	विवरण	हां/नहीं	अंक
01	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का प्रपत्र— 10 पूर्ण एवं अद्यतन हैं?		
02	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का प्रपत्र— 9 पूर्ण रूप से भरा हुआ है?		
03	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय इन्फास्ट्रक्चर मॉड्यूल में समस्त प्रविष्टियाँ सही दर्ज हैं?		
04	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण तथा सही हैं?		
05	क्या समस्त कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति नियमित रूप से और नियत समय पर पोर्टल पर दर्ज की गई? (पूरे सत्र के दौरान)		

3.16 विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार :-

क्र.सं	गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धिया/नवाचार	हां/नहीं	अंक	कुल अंक
1	स्मार्ट कक्षा-कक्ष/डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड			
2	अनुपयोगी/नकारा सामान का निस्तारण			
3	सी.सी.टी.वी. कैमरे युक्त परिसर			
4	सोलर पैनल/इन्वर्टर सुविधा/जनरेटर सुविधा इत्यादि विद्युत के वैकल्पिक संसाधन			
5	विद्यालय में स्काउट/गाईड/एनसीसी/एनएसएस इकाईयों का संचालन			
6	विज्ञान क्लब का गठन एवं संचालन			
7	पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/वृक्षारोपण कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन			
8	किचन गार्डन की उपलब्धता, जिसमें मिड-डे-मील में उपयोगार्थ /औषधीय महत्व के पौधे लगाए गए हैं			
9	CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा			
10	कार्मिकों का फोटोयुक्त संस्थापन बोर्ड (अद्यतन) एवं आदमकद दर्पण			
11	एसडीएमसी/एसएमसी बैठकों का निर्देशानुसार आयोजन एवं विधिवत अभिलेख संधारण तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति।			
12	शिविरा पंचाग/निर्देशानुसार समस्त पीटीएम का आयोजन एवं अभिलेख संधारण।			
13	आदर्श विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समस्त समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति।			
14	क्या विद्यालय में वार्षिक विद्यालयी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है?			

15	क्या कोविड-19 जागरूकता से संबंधित आयोजित की गई प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया? (न्यूनतम 10 विद्यार्थियों द्वारा)		
16	नवाचार किया गया है, तो विवरण अंकित करें।		

3.17 निरीक्षण रिपोर्ट :-

क्र.सं.	चयन समिति	स्तर (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा)	अंक
1	जिला स्तरीय कमेटी		
2	निदेशालय स्तरीय कमेटी		
3	राज्य स्तरीय कमेटी		

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं ख्याल व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति के हस्ताक्षर, नाम मय पदनाम

- 1.
- 2.
- 3.

जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति के हस्ताक्षर, नाम मय पदनाम

- 1.
- 2.
- 3.

परिशिष्ट-2 (अ)

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र —अ)
(आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिये)

अधिकतम अंक विवरण 250		अंक
उपलब्धि विवरण		
2 अकादमिक		
2.1 नामांकन सत्र 2020-21 में (08 अंक)		
कक्षा 1 से 5 (2)		
i 100 तक		0
ii 101 से 125 तक		1
iii 125 से अधिक		2
कक्षा 6 से 8 (2)		
i 60 तक		0
ii 61 से 90 तक		1
iii 90 से अधिक		2
कक्षा 9 से 10(2)		
i 40 तक		0
ii 41 से 80 तक		1
iii 80 से अधिक		2
कक्षा 11 से 12(2)		
i एक संकाय में नामांकन 40 तक		0
ii एक संकाय में नामांकन 41 से 80 तक		1
iii एक संकाय में नामांकन 80 से अधिक		2
iv दो संकाय में नामांकन 80 तक		0
v दो संकाय में नामांकन 81 से 160 तक		1
vi दो संकाय में नामांकन 160 से अधिक		2
vii तीन संकाय में नामांकन 120 तक		0
viii तीन संकाय में नामांकन 121 से 240 तक		1
ix तीन संकाय में नामांकन 240 से अधिक		2
नोट:- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 09 से 10 एवं 11 से 12 में नामांकन हेतु देय अंक मात्र कक्षा 9 से 10 में नामांकन हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 08 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।		
2.2 नामांकन वृद्धि (10)		10
विद्यालय में विगत वर्ष के कुल नामांकन में समीक्ष्य वर्ष के दौरान नामांकन वृद्धि की स्थिति में प्रति प्रतिशत वृद्धि पर एक अंक देय होगा अर्थात् न्यूनतम एक प्रतिशत वृद्धि पर 01 अंक, दो प्रतिशत वृद्धि पर 02 अंक तथा इसी प्रकार दस प्रतिशत वृद्धि पर अधिकतम 10 अंक देय होंगे। नामांकन वृद्धि हेतु देय अंक उसी अवस्था में विद्यालय को प्रदान किए जाएंगे जबकि विन्दु संख्या 2.1 में किसी भी कक्षा समूहवार (1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12) नामांकन (सत्र 2020-21) हेतु देय अंक शून्य नहीं हो।		
2.3 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (20)		
कक्षा 10 के लिये बोर्ड परीक्षा परिणाम (10)		
i 60 प्रतिशत तक		0
ii 60 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक		1
iii 75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक		3
iv 90 प्रतिशत से अधिक		5
v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम		0
vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक		1
vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक		2

viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	5
कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम (10)	
i 60 प्रतिशत तक	0
ii 60 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक	1
iii 75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक	3
iv 90 प्रतिशत से अधिक	5
v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम	0
vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक	1
vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक	2
viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	5
नोट:-1. माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु देय अंक मात्र कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 20 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।	
2.4 ऑनलाइन/ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ :- (30) (स्माइल कार्यक्रम, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि माध्यमों से विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की स्थिति):-	
i कक्षावार वाट्सएप ग्रुप का निर्माण करने पर	1
ii विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम	3
iii गृहकार्य का वितरण	3
iv गृहकार्य संकलन एवं जांच	3
v पोर्टफोलियो संधारण	5
vi कार्यपुस्तिकाओं का वितरण	3
vii विवज में सहभागिता	3
viii शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति	3
ix अन्य गतिविधियाँ (6)	
विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया /डिजिटल अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के साथ साझा की गई	3
ई-कक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई अध्ययन सामग्री में विद्यालय के किसी शिक्षक/शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए विडियो प्रसारित किए गए	3
नोट:-1 बिन्दु सं. ii, iii, iv, vi, vii एवं viii में उपलब्धि प्रतिशत 60 प्रतिशत तक होने पर शून्य अंक, 60 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक होने पर 1 अंक एवं 75 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक होने पर 2 अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक होने पर 3 अंक देय होंगे।	
2. बिन्दु सं. v में उपलब्धि प्रतिशत 60 प्रतिशत तक होने पर शून्य अंक, 60 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक होने पर 2 अंक एवं 75 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक होने पर 3 अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक होने पर 5 अंक देय होंगे।	
2.5 प्रतिमा खोज परीक्षा (09)	
एनटीएसई/इन्सपायर अवार्ड (राष्ट्रीय स्तर) (3)	
i एनटीएसई प्रथम चरण/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर	1
ii एनटीएसई/इन्सपायर अवार्ड एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3
एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड (राज्य स्तर) (3)	
i एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर	1
ii एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3
एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड (जिला स्तर) (3)	
i एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर	1
ii एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3

3. समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास	
3.1 आधारभूत सुविधाये (26)	
खेल मैदान (05)	
i खेल मैदान की अनुपलब्धता	0
ii भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर (सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने पर)	1
iii भूमि आवंटन कराने पर	3
iv खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता	5
खेल सामग्री (04)	
i खेल सामग्री की अनुपलब्धता	0
ii खेल सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग	4
पेयजल व्यवस्था (3)	
i सामान्य व्यवस्था (टैंकर/टांका/तालाब/कुआ/इत्यादि)	1
ii अच्छी व्यवस्था (हेण्ड पम्प/दयूबवेल/नल कनेक्शन/बिजली की मोटरयुक्त टैंक/इत्यादि)	2
iii बहुत अच्छी व्यवस्था (जैसे:-वाटर कूलर/आर.ओ./रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि)	3
शौचालय एवं मूत्रालय (08)	
i 50 से कम बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालकों के लिए एक मूत्रालय	4
ii 50 से कम बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय	4
iii 50 से अधिक बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालकों के लिए एक मूत्रालय	2
iv 50 से अधिक बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय	2
नोट-1. शौचालय एवं मूत्रालय की गणना बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक प्रति पचास/तीस पर उपलब्धता के आधार पर करनी है।	
2. क्रियाशील (Functional) का अर्थ:- बिना टूटी सीट, नियमित सफाई, पानी निकासी की कार्यशील व्यवस्था, बन्द करने लायक दरवाजा, इत्यादि।	
कक्षा कक्ष (नामांकन के अनुसार उपलब्धता) (2)	
i अपर्याप्त कक्षा कक्ष	0
ii पर्याप्त कक्षा कक्ष	2
नोट- कक्षा-कक्ष की गणना प्रति चालीस विद्यार्थियों पर एक कक्षा-कक्ष की उपलब्धता के आधार पर करनी है।	
चारदीवारी (2)	
i अनुपलब्ध	0
ii अपूर्ण (आंशिक चारदीवारी और निर्माणाधीन)	1
iii पूर्ण चारदीवारी (पक्की एवं चारदीवारी के दरवाजा लगा हुआ)	2
विद्युत कनेक्शन उपलब्ध एवं क्रियाशील (2)	
i हां	2
ii नहीं	0
3.2 विद्यालय में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉनल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा (3)	
i ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉनल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की उपलब्धता	3
3.3 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड (8)	
i कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत तक	0
ii कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
iii कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत तक	0
iv कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
v कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत तक	0
vi कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
vii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत तक	0

viii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
नोट:- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 09 से 10 एवं 11 से 12 में ग्रीन बोर्ड /व्हाइट बोर्ड हेतु देय अंक मात्र कक्षा 09 से 10 में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु आंकित करते हुए कुल अंक 04 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।	
3.4 विद्यालय सोन्दर्यीकरण (06)	
i विद्यालय के बाहरी एवं आंतरिक भाग में रंग रोगन किए जाने पर (गत वर्ष के दौरान)	2
ii विद्यालय में आदर्श वाक्य/सूक्ष्मिकों का लेखन	1
iii आदर्श विद्यालय योजनानुसार नाम तथा "लोगो" लेखन	1
iv विद्यालय परिसर स्वच्छता	2
3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु लहर पैटर्न पर/ABL कक्षा-कक्ष तैयार करवाने की प्रगति (3)	
i लहर आधारित कक्षा-कक्ष/ABL कक्ष न होने पर	0
ii लहर आधारित कक्षा-कक्ष/ABL कक्ष अपूर्ण होने पर	1
iii लहर आधारित कक्षा-कक्ष/ABL कक्ष पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील (शिक्षण में ABL किट/TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है)	3
3.6 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था (04)	
i विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत तक	0
ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	2
iii 80 प्रतिशत से अधिक	4
3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब (4)	
i 60 प्रतिशत तक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता	0
ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता	2
iii 80 प्रतिशत से अधिक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता	4
3.8 राजीव गांधी केरियर गार्डेन्स पोर्टल (3)	
i 40 प्रतिशत तक	0
ii 40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक	1
iii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	2
iv 80 प्रतिशत से अधिक	3
3.9 डिजिटल लिटरेसी (2)	
RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता से प्रशिक्षित होने योग्य समस्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया—	
i हाँ	2
ii नहीं	0
3.10 सांस्कृतिक एवं विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता (10)	
सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5)	
i सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान	5
ii सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान	3
iii सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में जिले में प्रथम स्थान	2
विज्ञान प्रदर्शनी (5)	
i विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान	5
ii विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान	3
iii विज्ञान प्रदर्शनी में जिले में प्रथम स्थान	2
3.11 भारातीय राशि विद्या (7)	
i विद्यालय में एक लाख से अधिक एवं पांच लाख तक राशि का सहयोग	2
ii विद्यालय में पांच लाख से अधिक एवं सात लाख तक राशि का सहयोग	4
iii विद्यालय में सात लाख से अधिक एवं दस लाख तक राशि का सहयोग	6
iv विद्यालय में दस लाख से अधिक राशि का सहयोग	7

3.12 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष (5)	
i 60 प्रतिशत तक राशि का उपयोग	0
ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक राशि का उपयोग	3
iii 80 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग	5
3.13 पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा (4)	
i फर्नीचरयुक्त पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष की उपलब्धता (विद्यार्थियों के बैठने की पर्याप्त सुविधायुक्त)	2
ii ई-लाइब्रेरी	2
3.14 ज्ञान संकल्प पोर्टल (3)	
i 40 प्रतिशत तक पंजीकरण	0
ii 40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक पंजीकरण	1
iii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक पंजीकरण	2
iv 80 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण	3
3.15 शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति) (5)	
i शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का प्रपत्र— 10 पूर्ण एवं अद्यतन है	1
ii शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का प्रपत्र— 9 पूर्ण रूप से भरा हुआ है	1
iii शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय इन्फास्ट्रक्चर मॉड्यूल में समस्त प्रविष्टियाँ सही दर्ज हैं	1
iv शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण तथा सही हैं	1
v समस्त कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति नियमित रूप से और नियत समय पर पोर्टल पर दर्ज की गई (पूरे सत्र के दौरान)	1
3.16 विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार (35)	
i स्मार्ट कक्षा—कक्ष /डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड	4
ii अनुपयोगी/नकारा सामान का निस्तारण	2
iii सी.सी.टी.वी. कैमरे युक्त परिसर	3
iv सोलर पैनल/इन्वर्टर सुविधा/जनरेटर सुविधा इत्यादि विद्युत के वैकल्पिक संसाधन	3
v विद्यालय में स्काउट/गार्ड/एनसीसी/एनएसएस इकाईयों का संचालन	4
vi विज्ञान क्लब का गठन एवं संचालन	1
vii पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/वृक्षारोपण कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन	2
viii किचन गार्डन की उपलब्धता, जिसमें मिड—डे—मील में उपयोगार्थ /औषधीय महत्व के पौधे लगाए गए हैं	3
ix CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा	2
x कार्मिकों का फोटोयुक्त संस्थापन बोर्ड (अद्यतन) एवं आदमकद दर्पण	1
xii एसडीएमसी/एसएमसी बैठकों का निर्देशानुसार आयोजन एवं विधिवत अभिलेख संधारण तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति।	1
xii शिविरा पंचांग/निर्देशानुसार समस्त पीटीएम का आयोजन एवं अभिलेख संधारण।	1
xiii आदर्श विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समस्त समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति।	1
xiv क्या विद्यालय में वार्षिक विद्यालयी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है?	3
xv क्या कोविड-19 जागरूकता से संबंधित आयोजित की गई प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया? (न्यूनतम 10 विद्यार्थियों द्वारा)	1
xvi नवाचार	3
3.17 निरीक्षण रिपोर्ट (45)	
(A)जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (5)	
i उत्कृष्ट पाये जाने पर	4 से 5
ii बहुत अच्छा पाये जाने पर	2 से 3

iii अच्छा पाये जाने पर	1
(B) निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (20)	
i उत्कृष्ट पाये जाने पर	13 से 20
ii बहुत अच्छा पाये जाने पर	7 से 12
iii अच्छा पाये जाने पर	1 से 6
(C) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा (20)	
i उत्कृष्ट पाये जाने पर	13 से 20
ii बहुत अच्छा पाये जाने पर	7 से 12
iii अच्छा पाये जाने पर	1 से 6

नोट:- 1. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा—मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा—कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रभाण—पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी। (आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों इत्यादि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य के रूप में शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट/साक्ष्य को प्राथमिकता से आवश्यक रूप से संलग्न करें।)

उपनिदेशक(माध्यमिक)
मा.शि.राज., बीकानेर

आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए उपलब्धिवार मूल्यांकन

क्र.सं.	उपलब्धि बिन्दु	उपलब्धि	पूर्णांक
1	2.1	नामांकन सत्र 2020-21	08
2	2.2	नामांकन वृद्धि	10
3	2.3	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि	20
4	2.4	ऑनलाईन/ऑफलाईन गतिविधियां	30
5	2.5	प्रतिभा खोज परीक्षा	09
6	3.1	आधारभूत सुविधाएं	26
7	3.2	विद्यालय में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉनाल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा	03
8	3.3	ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड	08
9	3.4	विद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण	06
10	3.5	लहर कक्ष/ABL कक्ष	03
11	3.6	विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था	04
12	3.7	कम्प्यूटर लैब की स्थिति	04
13	3.8	राजीव गांधी केरियर गार्डेन्स पोर्टल	03
14	3.9	डिजीटल लिटरेसी	02
15	3.10	सांस्कृतिक एवं विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता	10
16	3.11	भाषाशाह दानदाता सहयोग	07
17	3.12	विद्यार्थी एवं विकास कोष	05
18	3.13	पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा	04
19	3.14	ज्ञान संकल्प पोर्टल	03
20	3.15	शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति)	05
21	3.16	विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार	35
22	3.17	निरीक्षण रिपोर्ट 1.जिला स्तरीय कमेटी (05) 2.निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी (20) 3.राज्य स्तरीय चयन समिति (20)	45
कुल अंक			250

प्रपत्र — ब

उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान के लिए आवेदन पत्र

उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण:-

- 1.1 जिले का नाम.....
 1.2 ब्लॉक का नाम.....
 1.3 उत्कृष्ट विद्यालय का नाम.....
 NIC CODE U-DISE CODE.....
 1.4 विद्यालय स्तरः— कक्षा 1 से 5..... 1 से 8.....
 1.5 संस्था प्रधान का विवरण:-
 (i) संस्था प्रधान का नाम.....
 (ii) संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर.....
 (iii) जन्म तिथि.....
 (iv) इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि.....
 (v) क्या कोई विभागीय जाँच लम्बित है/ नहीं।
 (vi) विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है/ नहीं।

2. उपलब्धि विवरण—

अकादमिक—

2.1 नामांकन :-

कक्षा	सत्र 2020–21 का नामांकन	अंक	कुल अंक
1 से 5			
6 से 8			
योग			

2.2 नामांकन वृद्धि :-

सत्र 2019–20 का कुल नामांकन	सत्र 2020–21 का कुल नामांकन	वृद्धि (प्रतिशत में) $C=(B-A)*100/A$	अंक
A	B	C	D

2.3 ऑनलाइन/ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियां :-

(स्माइल कार्यक्रम, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि माध्यमों से विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की स्थिति):-

(i) वाट्सएप ग्रुप का निर्माण

क्र.सं	विवरण	हां/ नहीं	अंक
01	क्या ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों हेतु कक्षावार वाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है?		

(ii) विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम

क्र. सं	कुल नामांकन (2020–21)	डिजिटल माध्यम (वाट्सएप) द्वारा शिक्षण सामग्री से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	नॉन डिजिटल माध्यम (केवल कार्यपुस्तिका/ पाठ्यपुस्तक) द्वारा शिक्षण सामग्री से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	किसी भी प्रकार से शिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत ($F=C+D/B*100$)	अंक
A	B	C	D	E	F	G

(ix) अन्य गतिविधियां

क्र.सं	विवरण	हाँ/ नहीं	अंक
01	क्या विद्यालय स्तर पर ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन किया गया/डिजिटल अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के साथ साझा की गई?		
02	क्या ई-कक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई अध्ययन सामग्री में विद्यालय के किसी शिक्षक/शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए विडियो प्रसारित किए गए?		

3. उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास :-

3.1 आधारभूत सुविधाएँ:-

क्र.सं.	विवरण	स्थिति/उपलब्धता	अंक	कुल अंक
1	खेल मैदान	अनुपलब्धता/ भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर/ भूमि आवंटन करवाने पर/ खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता		
2	खेल सामग्री	अनुपलब्धता/ उपलब्धता तथा उपयोग		
3	पेयजल	सामान्य व्यवस्था/ अच्छी व्यवस्था/ बहुत अच्छी व्यवस्था		
4	शौचालय एवं मूत्रालय	अनुपलब्धता/ एक क्रियाशील शौचालय एवं एक मूत्रालय/ बालक- बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय		
5	विद्यालय में कक्षा-कक्ष	अपर्याप्त कक्षा-कक्ष/ पर्याप्त कक्षा-कक्ष		
6	चार दीवारी	अनुपलब्ध/ अपूर्ण/ पूर्ण		
7	विद्युत कनेक्शन	अनुपलब्धता/ उपलब्धता तथा क्रियाशील		
	कुल अंक			

3.2 विद्यालयों में सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिए गए सहयोग का विवरण:-

क्र.सं.	सहयोग का प्रकार	प्राप्त राशि (2020-21)	अंक
1	जनसहयोग		
2	काउड फ़ॉडिंग		
3	भामाशाह		
4	सी.एस.आर.		
	योग		

नोट:- सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

विद्यालय में सी.एस.आर., भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण :-

सहयोगकर्ता का नाम	सहयोग का विवरण	सहयोग राशि	कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है

3.3 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स की स्थिति:-

कम्प्यूटर्स की उपलब्धता (हाँ/ नहीं)	कम्प्यूटर्स की कुल संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या	अंक

3.4 विद्यालय सौन्दर्योक्तरण:-

विवरण	विद्यालय भवन के बाहरी एवं आंतरिक भाग का रंग रोगन करवाया गया (हाँ/ नहीं)	विद्यालय में आदर्श वाक्य/ सूक्ष्मियों का लेखन करवाया गया (हाँ/ नहीं)	विद्यालय द्वारा पर "उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित" नाम तथा "लोगो" लेखन करवाया गया (हाँ/ नहीं)	विद्यालय परिसर स्वच्छता	कुल अंक
अंक					

3.5 विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता:-

गतिविधि	राज्य में स्थान	जिले में स्थान	ब्लॉक में स्थान	अंक	कुल अंक
विज्ञान प्रदर्शनी					

3.6 विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था:-

फर्नीचर की स्थिति			अंक
कुल नामांकन	फर्नीचर की उपलब्धता	उपलब्धि का प्रतिशत (C=B/A*100)	
A	B	C	D

3.7 कक्षा 1 एवं 2 हेतु एबीएल कक्षा कक्ष तैयार करवाने की प्रगति:-

क्या विद्यालय में एबीएल कक्ष उपलब्ध है (हों/नहीं)	अपूर्ण	पूर्ण सुसज्जित एवं कियाशील (भिक्षण में ABL किट/TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है)	अंक
---	--------	---	-----

3.8 विद्यालय में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉग्नल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा -

क्र.सं.	विवरण	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अंक
1	ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉग्नल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन			

3.9 डिजीटल लिटरेसी:-

क्र.सं.	विवरण			हाँ/नहीं	अंक
01	RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता से प्रशिक्षित होने योग्य समस्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया-				

3.10 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति:-

कक्षा	लक्ष्य	कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत (D=C/B*100)	अंक	कुल अंक
A	B	C	D	E	F
1-5	5				
6-8	3				

3.11 पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा :-

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	अंक	कुल अंक
1.	फर्नीचरयुक्त पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष की उपलब्धता (विद्यार्थियों के बैठने की पर्याप्त सुविधायुक्त)			

3.12 ज्ञान संकल्प पोर्टल :-

क्र.सं.	विवरण	स्टाफ की कुल संख्या	पंजीकरण	उपलब्धि प्रतिशत (D=C*100/B)	अंक
	A	B	C	D	E
1.	स्टाफ का पोर्टल पर पंजीकरण				

3.13 शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति)

क्र.सं	विवरण	हाँ/नहीं	अंक
01	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का प्रपत्र- 10 पूर्ण एवं अद्यतन है?		
02	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का प्रपत्र- 9 पूर्ण रूप से भरा हुआ है?		

03	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय इन्फास्ट्रक्चर मॉड्यूल में समस्त प्रविष्टियाँ सही दर्ज हैं?		
04	क्या शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण तथा सही हैं?		
05	क्या समस्त कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति नियमित रूप से और नियत समय पर पोर्टल पर दर्ज की गई? (पूरे सत्र के दौरान)		

3.14 विद्यालयों में विविध गतिविधियाँ/क्रियाकलाप/उपलब्धियाँ/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार :—

क्र.सं	गतिविधियाँ/क्रियाकलाप/उपलब्धियाँ/नवाचार	हाँ/नहीं	अंक	कुल अंक
1	अनुपयोगी/नकारा सामान का निस्तारण			
2	पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/वृक्षारोपण कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन			
3	किंचन गार्डन की उपलब्धता, जिसमें मिड-डे-मील में उपयोगार्थ /औषधीय महत्व के पौधे लगाए गए हैं			
4	CWSN विद्यार्थियों के लिए रेस्प की सुविधा			
5	कार्मिकों का फोटोयुक्त संस्थापन बोर्ड (अद्यतन) एवं आदमकद दर्पण			
6	एसएमसी बैठकों का निर्देशानुसार आयोजन एवं विधिवत अभिलेख संधारण तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्वयन।			
7	शिविरा पंचाग/निर्देशानुसार समस्त पीटीएम का आयोजन एवं अभिलेख संधारण।			
8	उत्कृष्ट विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समस्त समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति।			
9	विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता			
10	क्या कोविड-19 जागरूकता से संबंधित आयोजित की गई प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया? (न्यूनतम 10 विद्यार्थियों द्वारा)			
11	नवाचार किया गया है, तो विवरण अंकित करें।			

3.15 निरीक्षण रिपोर्ट :—

क्र.सं.	चयन समिति	स्तर (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा)	अंक
1	जिला स्तरीय कमेटी		
2	निर्देशालय स्तरीय कमेटी		
3	राज्य स्तरीय कमेटी		

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय सील

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति के हस्ताक्षर, नाम मय पदनाम

1.
2.
3.
जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति के हस्ताक्षर, नाम मय पदनाम
1.
2.
3.

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-ब)
(उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए)

		अधिकतम अंक विवरण (कुल 200)	अंक
		उपलब्धि विवरण	
2 अकादमिक-			
2.1	नामांकन सत्र 2020-21 (6)		
	कक्षा 1 से 5 (3)		
i	60 तक		0
ii	61 से 100 तक		1
iii	101 से 150 तक		2
iv	150 से अधिक		3
	कक्षा 6 से 8 (3)		
i	50 तक		0
ii	51 से 80 तक		1
iii	81 से 105 तक		2
iv	105 से अधिक		3
	नोट:- प्राथमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 6 से 8 में नामांकन हेतु देय अंक मात्र कक्षा 1 से 5 में नामांकन हेतु आंकित करते हुए कुल अंक 08 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।		
2.2	नामांकन वृद्धि (10)		
	विद्यालय में विगत वर्ष के कुल नामांकन में सभीक्ष्य वर्ष के दौरान नामांकन वृद्धि की स्थिति में प्रति प्रतिशत वृद्धि पर एक अंक देय होगा अर्थात् न्यूनतम एक प्रतिशत वृद्धि पर 01 अंक, दो प्रतिशत वृद्धि पर 02 अंक तथा इसी प्रकार दस प्रतिशत वृद्धि पर अधिकतम 10 अंक देय होंगे। नामांकन वृद्धि हेतु देय अंक उसी अवस्था में विद्यालय को प्रदान किए जाएंगे जबकि बिन्दु संख्या 2.1 में किसी भी कक्षा समूहवार (1 से 5 एवं 6 से 8) नामांकन (सत्र 2020-21) हेतु देय अंक शून्य नहीं हो।		
2.3	ऑनलाईन/ऑफलाईन शैक्षणिक गतिविधियाँ :- (40)		
	(स्माइल कार्यक्रम, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि माध्यमों से विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की स्थिति):-		
i	कक्षावार वाट्सएप ग्रुप का निर्माण करने पर		1
ii	विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम		4
iii	गृहकार्य का वितरण		4
iv	गृहकार्य संकलन एवं जांच		4
v	पोर्टफोलियो संधारण		7
vi	कार्यपुस्तिकाओं का वितरण		4
vii	विवर में सहभागिता		4
viii	शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति		4
ix	अन्य गतिविधियाँ (8)		
	विद्यालय स्तर पर ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन किया गया/डिजिटल अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के साथ साझा की गई		4
	ई-कक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई अध्ययन सामग्री में विद्यालय के किसी शिक्षक/शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए विडियो प्रसारित किए गए		4
	नोट:- 1. बिन्दु सं. ii, iii, iv, vi, vii एवं viii में उपलब्धि प्रतिशत 60 प्रतिशत तक होने पर शून्य अंक, 60 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक होने पर 2 अंक एवं 75 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक होने पर 3 अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक होने पर 4 अंक देय होंगे। 2. बिन्दु सं. v में उपलब्धि प्रतिशत 60 प्रतिशत तक होने पर शून्य अंक, 60 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक होने पर 3 अंक एवं 75 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक होने पर 5 अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक होने पर 7 अंक देय होंगे।		
3	उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास		
3.1	आधारभूत सुविधाएं (28)		
3.1.1	खेल मैदान (5)		

i	खेल मैदान की अनुपलब्धता	0
ii	भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर (सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने पर)	1
iii	भूमि आवंटन करवाने पर	3
iv	खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता	5
3.1.2	खेल सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग (4)	
i	खेल सामग्री की अनुपलब्धता	0
ii	खेल सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग	4
3.1.3	पेयजल व्यवस्था (3)	
i	पेयजल व्यवस्था न होने पर	0
ii	सामान्य व्यवस्था (टैंकर/टांका/तालाब/कुआ/इत्यादि)	1
iii	अच्छी व्यवस्था (हेण्ड पम्प/ट्यूबवेल/नल कनेक्टन/विजली की मोटरयुक्त टैंक/इत्यादि)	2
iv	बहुत अच्छी व्यवस्था (जैसे:-वाटर कूलर/आर.ओ./रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि)	3
3.1.4	शौचालय एवं मूत्रालय (5)	
i	शौचालय एवं मूत्रालय की अनुपलब्धता	0
ii	केवल एक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय	2
iii	बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय	5
	नोट:- क्रियाशील (Functional) का अर्थः— बिना दूटी सीट, नियमित सफाई, पानी निकासी की कार्यशील व्यवस्था, बन्द करने लायक दरवाजा, इत्यादि।	
3.1.5	कक्षा-कक्ष (नामांकन के अनुसार उपलब्धता) (4)	
i	अपर्याप्त कक्षा-कक्ष	0
ii	पर्याप्त कक्षा-कक्ष	4
	नोट:- कक्षा-कक्ष की गणना प्रति चालीस विद्यार्थियों पर एक कक्षा-कक्ष की उपलब्धता के आधार पर करनी है।	
3.1.6	चारदीवारी (4)	
i	अनुपलब्ध	0
ii	अपूर्ण (आंशिक चारदीवारी एवं निर्माणाधीन)	2
iii	पूर्ण चारदीवारी (पक्की एवं चारदीवारी के दरवाजा लगा हुआ)	4
3.1.7	विद्युत कनेक्शन (3)	
i	अनुपलब्धता	0
ii	उपलब्ध तथा क्रियाशील	3
3.2	सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग (5)	
i	दानदाताओं से सहयोग प्राप्त न होने पर	0
ii	विद्यालय में 50000/- तक की राशि का सहयोग	2
iii	रु. 50000 से अधिक 1 लाख तक	3
iv	1 लाख से अधिक 2 लाख तक	4
v	2 लाख से अधिक	5
3.3	कम्प्यूटर्स की स्थिति (4)	
i	अनुपलब्धता	0
ii	विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या एक तक	2
iii	विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या एक से अधिक	4
3.4	विद्यालय सौन्दर्योक्तरण (6)	
i	विद्यालय के बाहरी एवं आंतरिक भाग में रंग रोगन करवाये जाने पर (गत वर्ष के दौरान)	2
ii	विद्यालय में आदर्श वाक्य/सूक्ष्मियों का लेखन	1
iii	उत्कृष्ट विद्यालय योजनानुसार नाम तथा "लोगो" लेखन	1
iv	विद्यालय परिसर स्वच्छता	2
3.5	विज्ञान प्रदर्शनी (5)	
i	विज्ञान प्रदर्शनी में किसी भी स्तर पर चयन न होने पर	0
ii	विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर स्थान	2
iii	विज्ञान प्रदर्शनी में जिला स्तर पर स्थान	3

iv	विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर स्थान	5
3.6	विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था (4)	
i	विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 30 प्रतिशत तक	0
ii	30 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक	2
iii	60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
iv	80 प्रतिशत से अधिक	4
3.7	एबीएल कक्षा-कक्ष की स्थिति (4).	
i	एबीएल कक्ष न होने पर	0
ii	अपूर्ण	2
iii	पूर्ण सुसज्जित एवं कियाशील (शिक्षण में ABL किट/TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है)	4
3.8	विद्यालय में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉनल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की उपलब्धता (3)	
i	अनुपलब्ध	0
ii	उपलब्ध	3
3.9	डिजीटल लिटरेसी (3)	
	RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता से प्रशिक्षित होने योग्य समस्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया—	
i	नहीं	0
ii	हैं	3
3.10	ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति (10)	
	कक्षा 1 से 5 (5)	
i	80 प्रतिशत तक	0
ii	80 प्रतिशत से अधिक	5
	कक्षा 6 से 8 (5)	
i	80 प्रतिशत तक	0
ii	80 प्रतिशत से अधिक	5
	नोट:- प्राथमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु देय अंक मात्र प्राथमिक कक्षा (01-05) में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 10 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।	
3.11	पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा (5)	
i	फर्नीचरयुक्त पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष की उपलब्धता (विद्यार्थियों के बैठने की पर्याप्त सुविधायुक्त)	5
3.12	ज्ञान संकलन पोर्टल (5)	
i	40 प्रतिशत तक पंजीकरण	0
ii	40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक पंजीकरण	2
iii	60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक पंजीकरण	3
iv	80 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण	5
3.13	शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति) (5)	
i	शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का प्रपत्र- 10 पूर्ण एवं अद्यतन है	1
ii	शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का प्रपत्र- 9 पूर्ण रूप से भरा हुआ है	1
iii	शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय इन्फास्ट्रक्चर मॉड्यूल में समस्त प्रविष्टियाँ सही दर्ज हैं	1
iv	शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण तथा सही हैं	1
v	समस्त कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति नियमित रूप से और नियत समय पर पोर्टल पर दर्ज की गई (पूरे सत्र के दौरान)	1
3.14	विद्यालयों में विविध गतिविधियाँ/क्रियाकलाप/उपलब्धियाँ/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार (22)	
i	अनुपयोगी/ नकारा सामान का निस्तारण	2
ii	पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/वृक्षारोपण कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन	2
iii	किचन गार्डन की उपलब्धता, जिसमें मिड-डे-मील में उपयोगार्थ /ओषधीय महत्व के पौधे लगाए गए हैं	4
iv	CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा	2
v	कार्मिकों का फोटोयुक्त संस्थापन बोर्ड (अद्यतन) एवं आदमकद दर्पण	1
vi	एसएमसी बैठकों का निर्देशानुसार आयोजन एवं विधिवत अभिलेख संधारण तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति।	2

vii	शिविरा पंचाग / निर्देशानुसार समस्त पीटीएम का आयोजन एवं अभिलेख संधारण।	2
viii	उत्कृष्ट विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति।	1
ix	विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता	1
x	क्या कोविड-19 जागरूकता से संबंधित आयोजित की गई प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया? (न्यूनतम 10 विद्यार्थियों द्वारा)	2
xi	नवाचार	3
3.15	निरीक्षण रिपोर्ट (35)	
	(A) जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निरीक्षण (5)	
i	अच्छा	1
ii	बहुत अच्छा	2 से 3
iii	उत्कृष्ट	4 से 5
	(B) निर्देशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (15)	
i	अच्छा	1 से 5
ii	बहुत अच्छा	6 से 8
iii	उत्कृष्ट	9 से 15
	(C) राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (15)	
i	अच्छा	1 से 5
ii	बहुत अच्छा	6 से 8
iii	उत्कृष्ट	9 से 15

नोट:- 1. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा—मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा—कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण—पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अमाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी। (आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों इत्यादि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य के रूप में शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट/साक्ष्य को प्राथमिकता से आवश्यक रूप से संलग्न करें।)

उपनिदेशक (माध्यमिक)
मा.शि., राज., बीकानेर

उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए उपलब्धिवार मूल्यांकन

क्र.सं.	उपलब्धि बिन्दु	उपलब्धि	पूर्णांक
01	2.1	नामांकन सत्र 2020-21	6
02	2.2	नामांकन वृद्धि	10
03	2.3	ऑनलाईन / ऑफलाईन शैक्षणिक गतिविधियां	40
04	3.1.1	खेल मैदान	5
05	3.1.2	खेल सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग	4
06	3.1.3	पेयजल व्यवस्था	3
07	3.1.4	शौचालय एवं मूत्रालय	5
08	3.1.5	कक्षा-कक्ष	4
09	3.1.6	चारदीवारी	4
10	3.1.7	विद्युत कनेक्शन	3
11	3.2	सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग	5
12	3.3	कम्प्यूटर्स की स्थिति	4
13	3.4	विद्यालय सौन्दर्यीकरण	6
14	3.5	विज्ञान प्रदर्शनी	5
15	3.6	विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था	4
16	3.7	एबीएल कक्षा-कक्ष की स्थिति	4
17	3.8	विद्यालय में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन/डॉनाल/अन्य इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा –	3
18	3.9	डिजीटल लिटरेसी	3
19	3.10	ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति	10
20	3.11	पुस्तकालय/वाचनालय सुविधा	5
21	3.12	ज्ञान संकल्प पोर्टल	5
22	3.13	शाला दर्पण पोर्टल (अद्यतन स्थिति)	5
23	3.14	विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/सामुदायिक सहभागिता/नवाचार	22
24	3.15	निरीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निरीक्षण (05) निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (15) राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (15)	35
कुल अंक			200